कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1872 दिनांक 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

प्राविधिक शासकीय सहायतापाप्त शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद, प्राविधिक के बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्राविधि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई महाविद्यालयों को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित आगे गहरी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक का सत्र-3 में विचारार्थ हुए फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने हेतु नई एवं सम्बद्ध संस्थाओं को प्रदान किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा संस्थाओं निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

जिसमें क्षेत्र में स्थापित जिन्होंने हुए फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने हेतु संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीपीएनआई0 द्वारा उन्हें सशर्त अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीपीएनआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम को दाम्पुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता को सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीपीएनआई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 की आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा संकाय की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 संस्थाओं द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेशों अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	संस्थान कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीपीएनआई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद/ पीसीपीएनआई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

1. ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा) [illegible] एवं [illegible] के अनुपालन में [illegible] करना होगा।
2. ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
3. ✓ संस्था को समय-समय पर विभिन्न परामर्शदेय के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
4. ✓ संस्था को एआईसीटीई0/पीसीपीएनआई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये नियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगी।
6. ✓ विभिन्नता इस फार्मेसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि पीसीपीएनआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है एवं इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई मान्य उत्तर किया जाता है तथा उत्तर जारी भी संबंध में ना, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की याचिपुर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था उत्तर जारी भी संबंध में ना, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की याचिपुर्ति संबंधी आदेश निर्गत
7. ✓ विभिन्नता इस फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उपलब्ध द्वारा प्रवेशित वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदित प्रवेश क्षमता पीसीपीएनआई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवेदितिरिक्त) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
8. ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों को अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
9. ✓ संस्था को अपने वेबसाइट एवं संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, पाठ्यक्रम, उपलब्धता, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
10. ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की व्यवस्था वेबसाइट बनाने के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
11. ✓ संस्था को यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रवेशित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने यदि संस्था समिति की संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, पूर्ति-पत्रक, फीडबैक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम की सम्बद्धता में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था पाठ्यक्रम का संचालन नहीं कर रही है तो सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
12. ✓ सम्बद्धता समाप्त किये जाने की स्थिति में छात्रों के हित को देखते हुए संस्था को अपने स्तर से छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजित कराने की व्यवस्था करनी होगी।
13. ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आलोक सिंह)
सचिव

पत्रांक दिनांक 15-09-2020

पृ0सं0— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

प्रतिलिपि—प्रबन्धशासी/निदेशक, उ0 शिक्षणी शिक्षा आवर्त फार्मेसी कॉलेज विशेष—लालपुर गढ़ पी0—बरासपलपुर, उ0प्र0— शिवगढ़, आजमगढ़।

(डा0 आलोक सिंह)
सचिव

कार्यालय,

प्रमुख, फार्मास्यिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- फार्मास्यपरिषद लखनऊ/2021/3537

दिनांक: 09/06/2021

आदेश जारी:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त फार्मास्यिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 02/06/2021 को राजकीय महाविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रमवार/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था को फार्मास्यिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 4029-PT. TRIPURARI MISHRA ADARSH PHARMACY COLLEGE VILL-TAJPUR GARHA POST-SARAIPALTU TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-276302

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित और समय समय पर जारी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश फार्मास्यिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा फार्मास्यिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, रेगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (शिक्षण प्रशिक्षण शुल्क 0 30150.00/- परिषदी, दो प्रवेशित सालेवी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 40000.00/- परिषदी एवं एक वर्ष दो प्रवेशित पाठ्यक्रमों (दो नवीन सालेवी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- परिषदी शुल्क ही छात्र/छात्रा से जमा किया जायेगा। प्रवेशित के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं परिषद द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की प्रतिपूर्ति दी जानी होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 फार्मास्यिक शिक्षा समितियां तथा उत्तर अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित समय समय पर प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के बिन्दु 19 जारी की दिनांक से उत्तर प्रदेश शासन के दिशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को शासन-शासन एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित शर्तें सम्बद्धता पुनर्नवा प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश/अधिनियमों/शासनादेशों/नियमों एवं विनियमों, फार्मास्यिक शिक्षा उ0प्र0, अखिल प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा फार्मास्यिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी सभी निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विभिन्न द्वारा जारीसी पाठ्यक्रम की प्रवेश्यां भरि दी गई हैं, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने की अवस्था रहती है तो इस संस्था को सम्बद्धता प्रदान्तिम संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। फार्मास्यिक शिक्षा परिषद, अखिल प्रवेश परीक्षा परिषद, फार्मास्यिक शिक्षा निदेशालय एवं फार्मास्यिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लाभ दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में न्या. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को वहनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अखिल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु फार्मास्यिक प्रवेश होने के पूर्व फार्मास्यिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आयोजक को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा ऐसी प्रवेश की (फार्मास्यिक के आदेशों से अलग संस्था उत्तर पत्र शीर्ष प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने पेयजल पर संस्था की अवस्था सुविधाएं जैसे छात्रों को शैक्षिणिक पूर्ति भूमि, भवन, छात्र-छात्रा, उपकरण, यान किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पर्याप्तसंख्या उपकरण संस्था के साथ देखिए संस्थाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो के लिए संस्था की अवस्थापित संचालित पाठ्यक्रम को संचालन जाने हेतु निर्धारण समिति के समक्ष उपलब्ध भवनों तथा अधिशेष, भूमि-भवन, फार्मेसिर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन के उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य जारी के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायीत्व निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्याप्तसंख्या, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने उपरान्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार मौलवर)

सचिव

दिनांक: 09/06/2021

पृष्ठांक- फार्मास्यपरिषद लखनऊ/2021/3538-4009

प्रतिलिपि--

प्रधानाचार्य/निदेशक,PT. TRIPURARI MISHRA ADARSH PHARMACY COLLEGE VILL-TAJPUR GARHA POST-SARAIPALTU TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-276302

(सुनील कुमार मौलवर)

सचिव